रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052025-263446
CG-DL-E-28052025-263446

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2025/ज्येष्ठ 7, 1947
No. 305] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2025/JYAISTHA 7, 1947

पत्तन, जलयान परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2025

सा.का.नि. 348(अ).— अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (पहला संशोधन) नियम, 2024 का प्रारूप, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप धारा (1) की अपेचानुसार, भारत सरकार, पत्तन जलयान परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 671 (अ) तारीख 29 अक्टूबर, 2024 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 29 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उप सभी व्यक्तियों से जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 अक्तूबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियम की बाबत जनता से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यड) से खंड (यव) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (2), धारा 53 की उपधारा (1) और (3) तथा धारा 54 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 2022 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।।

2. अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, 24 मीटर से अधिक के जलयानों के सकल टन भार की गणना पोतों के टन भार मान पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 1969 के अनुसार की जाएगी, जबकि 24 मीटर से कम के जलयानों के सकल टन भार की गणना वाणिज्य नौवहन (पोतों के टन भार माप) नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार की जाएगी;"।

3. नियम 6 में, "अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन" शब्दों के स्थान पर "अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार,-

(क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

(2) सभी अंतर्देशीय जलयानों, जहां सीवेज उत्पन्न होता है, को समुचित सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र या बायो-डाइजेस्टर या जलयान में सवार व्यक्तियों के लिए पर्याप्त क्षमता का होल्डिंग टैंक उपलब्ध कराया जाएगा ।"

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) उप-नियम (2) में निहित अपेक्षाओं से 60 मिनट से कम अवधि की यात्रा पर लगे जहाज।"।

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी(9)]

पी के रॉय, संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी-II)

टिप्पण :-- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), अधिसूचना सं. सा.का.नि. 427(अ) तारीख 7 जून, 2022 की अधिसूचना द्वारा तारीख 7 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2025

G.S.R. 348(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) (First Amendment) Rules, 2024 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 671 (E), dated the 29th October, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 29th October, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on 29th October, 2024;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules by the Central government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred bysub-section (2) of section 52, sub-sections (1) and (3) of section 53 and sub-section (1) of section 54 read with clauses (zm) to (zp) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022, namely.

1. (1) These rules may be called the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Amendment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Prevention and Containment of Pollution) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), the following explanation shall be inserted, namely: -

   "*Explanation.*– For the purposes of this clause, gross tonnage of vessels of 24 meters orabove shall be calculated according to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, whereas gross tonnage of vessels less than 24 meters shall be calculated according to rule 3 of the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987, as amended from time to time;".

3. In rule 6, for the words "International Organisation of Standards", the words "International Organisation for Standardisation" shall be substituted.

4. In rule 12 of the said rules,–

   (a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

   "(2) All inland vessels where sewage is generated are to be provided with an appropriate sewage treatment plant or bio-digester or holding tank of such capacity sufficient for the number of persons on board."; and

   (b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

   "(3) Vessels engaged on voyages of less than 60 minutes duration may be exempted from the requirements contained in sub-rule (2).".

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(9)]

P. K. ROY, Jt. Secy. (IWT-II)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th June, 2022, *vide* notification number G.S.R. 427(E), dated the 7th June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA